



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, India that is भारत

पत्रांक- 421/1C

दिनांक- 0/2/2021

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
बिजनौर

विषय :-

दिल्ली पब्लिक स्कूल, बिजनौर के विद्यालय भवन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के मानको के अनुरूप सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु पर जांच आख्या के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

दिल्ली पब्लिक स्कूल, बिजनौर का पत्रांक DPSB/ADMIN/003 Dt. 20.01.2021 एवं मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर का पृष्ठांकन दिनांक 21.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक विद्यालय भवन का निरीक्षण सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता द्वारा किया गया। निरीक्षण के उपरान्त विद्यालय भवन के नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुरूप सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दुओं पर प्राप्त जांच आख्या/चैक लिस्ट संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :-

उपरोक्तानुसार।

0/0

(सुनील सागर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बिजनौर

पत्रांक

421/1C

दिनांक

0/2/2021

प्रतिलिपि :-

- 1- डा0 ताराचन्द अग्रवाल, ए-3, गीता नगरी, बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सहायक अभियन्ता चतुर्थ, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित।

Prosent

0/0

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बिजनौर

NBC/1/2021

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता



प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, India that is भारत

पत्रांक-

दिनांक-

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, नजीबाबाद रोड, बिजनौर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि भवन में धूप टंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और कक्षा-कक्ष हवादार एवं रोशनी युक्त है तथा भवन की छत आर0सी0सी0 की बनी हुई है। उक्त भवन वर्तमान में पठन-पाठन योग्य है। Seismic जोन-4 में होने के कारण उक्त भवन की तकनीकी जांच समय-समय पर होनी अनिवार्य है। विपरीत स्थिति में भवन स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बिजनौर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बिजनौर

Prasant



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, India that is भारत

पत्रांक—

दिनांक—

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, नजीबाबाद रोड, बिजनौर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि भवन में धूप टंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और कक्षा-कक्ष हवादार एवं रोशनी युक्त है तथा भवन की छत आर0सी0सी0 की बनी हुई है। उक्त भवन वर्तमान में पठन-पाठन योग्य है। Seismic जोन-4 में होने के कारण उक्त भवन की तकनीकी जांच समय-समय पर होनी अनिवार्य है। विपरीत स्थिति में भवन स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बिजनौर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बिजनौर


Prasant

Delhi Public School, Bijnor

(ख) दो मंजिल से अधिक, किन्तु 15 मीटर से कम ऊंचे भवनों हेतु चैकलिस्ट :-

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
1.	भवन में कुल कितनी मंजिलें (तल) हैं ?	तीन मंजिला
2.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्ग मी0) है?	हाँ।
3.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सैट बैक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ। सैट बैक में नहीं है।
4.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ।
5.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	नहीं।
6.	क्या भवन की छत आर0सी0सी0 की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ।
7.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	हाँ।
8.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	नहीं।
9.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हाँ।
10.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्री गेट) की चौड़ाई 6.0 मी. एवं ऊँचाई 4.5 मी. है?	हाँ।
11.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ।
12.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ।
13.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी0 ऊँचाई 2.0 मी) है?	हाँ।
14.	क्या विद्यालय भवन में न्यूनतम दो स्टोर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ।
15.	क्या भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0, ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	हाँ।
16.	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी0 है?	हाँ।
17.	क्या भवन के कोरीडोर की ऊँचाई न्यूनतम 2400 मिमी0 है?	हाँ।
18.	क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, कैरोसिन, कुकिंग गैस, पुराना फर्नीचर, लकड़ी, कोयला, बांस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	नहीं।
19.	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन से अलग है?	हाँ।
20.	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं।


 अवर अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
 बिजनौर


 सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
 बिजनौर


क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	
21.	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
22.	क्या भवन में विकलांगों हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	नहीं। प्रस्तावित है।
23.	क्या भवन की सीड़ियां छत पर खुलती हैं?	हाँ।
24.	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ।

प्रमाण पत्र

यह प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य/प्रबन्धक एवं सक्षम अभियन्ता द्वारा विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुरूप निर्मित होने का प्रमाण पत्र के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया, विद्यालय भवन बाह्य रूप से देखने पर उपरोक्त सूची में अंकित बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित है। पूर्व निर्मित विद्यालय भवन का बाह्य अवलोकन (Visual Inspection) आश्रित प्रस्तुत प्रमाण-पत्र भवन के अभिकल्पनीय पहलुओं, निर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट आन्तरिक अवयवों की गुणवत्ता प्रमाणक नहीं है। बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुए भवन प्रयोग में लाया जा सकता है।



अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बिजनौर



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बिजनौर